

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही नय इनिशियल्य जज

भंवर वनाम वाकिसिंह

मु. सं. 155/2021 (5/1)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

07.05-24

प्रार्थीगण मोहनलाल, चौरज, राजनीर
पिठ भंवरलाल द्वारा प्रापत्र पेश करने
पर काज पत्रानली तलब की गई।
प्रार्थीगण द्वारा विज्ञे प्रापत्र प्रस्तुत का
अकार्य कराम है कि वादी भंवर की
मृत्यु हो चुकी है हम ही इनके बलिष्ठा
हैं। हमारा पंच पेटेलों के माध्यम से
राजीनामा हो गया है। हम लोक अदालत
की भावना से उक्त प्रकरण को छोटे नहीं
चलाना चाहते हैं और दावा का निस्तारण
कराना चाहते हैं। अतः प्रापत्र पेश कर
अर्ज है कि काज ही हमारा दावा विज्ञे
करने के अद्वैत फलमों। प्रार्थीगण की
प्रत्यापन श्री हरिचंकरसिंह एडवो द्वारा
किया गया।

गोए-काल
चौरज
नाथराम

व-ली.ब.गु
अरुण
हरिचंकरसिंह
एड.

अतः प्रापत्र एवं पंच, प्रापत्रों
गहनाली की रिपोर्ट के अद्वैत वादी के
बलिष्ठा का प्रापत्र स्वीकार किया गया
है एवं दावा विज्ञे किये जाने की इजाजत
ही जारी है। दावा विज्ञे किया जाकर
पत्रानली फैसल हुआ है।

अद्वैत फलमों

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा